निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 872) पटना वृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-31/2026-3368 वि०स०—''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026
[वि०स०वि०-26/2026]

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–**

(1) यह अधिनियम **बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2026** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम XI, 2007) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 27 में संशोधन।**– बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 27 की उपधारा 2(ङ) के पश्चात् नयी उपधाराएँ 2(च) एवं 2 (छ) निम्नवत् जोड़ी जायेगी :–

"(च) ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से जहाँ पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/भवन पर विज्ञापन हेतु प्रबंध किया जाये एवं निजी भूमि/भवन का उपयोग विज्ञापन हेतु किया जाए, वहाँ विज्ञापन शुल्क।

(छ) अन्य शुल्क या दर जो सरकार द्वारा पंचायत के संसाधन में वृद्धि हेतु विहित की जाए।"

3. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 167 में संशोधन।– बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 167 के पश्चात् एक नयी धारा 167क निम्नवत् जोड़ी जायेगी :–

''167क ग्रामीण क्षेत्रों में योजना एवं भवन संचालन का नियंत्रण, विनियमन एवं अनुश्रवण.-

(1) नगरपालिका सीमा के बाहर और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 से आच्छादित नहीं किये गये क्षेत्रों में भू–सम्पदा विकास की परियोजना, बिल्डिंग अपार्टमेंट का निर्माण/परिनिर्माण/परिवर्तन, ग्रुप हाऊसिंग परियोजनाओं, वाणिज्यिक भवनों, ले–आउट योजनाओं तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य संरचना का नियंत्रण, विनियमन एवं अनुश्रवण सरकार द्वारा विहित उप–विधि के अध्यधीन इस हेतु गठित प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।

(2) उक्त प्राधिकरण गैर–शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण के उन्नयन की योजना बनाने हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा सामान्य रूप से पूरे क्षेत्र और विशेष रूप से संबंधित क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करायेगा।

(3) राज्य सरकार धारा 167क(2) में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिए एक ग्रामीण भवन न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकेगी।''

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 27 में ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधनों (OSR) में वृद्धि हेतु पंचायत द्वारा कई मदों में कर एवं शुल्क लगाये जाने से संबंधित प्रावधान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र रफ्तार से विकास योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा कई व्यक्ति/एजेंसी/प्रतिष्ठान अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन पंचायत से बिना कोई अनुमति प्राप्त किये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क दिये पंचायत क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे नगरपालिकाएं अपने क्षेत्र में विज्ञापन के प्रदर्शन हेतु निर्धारित दर पर कर/शुल्क की वसूली करती हैं, उसी प्रकार ग्राम पंचायत भी अपने क्षेत्र में लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर कर/शुल्क की वसूली कर सकती है।

अधिनियम की धारा 27 में विज्ञापन से संबंधित कर या शुल्क वसूलने का प्रावधान अंकित नहीं रहने के कारण पंचायत वर्तमान में विज्ञापन मद में कोई शुल्क लगाने की स्थिति में नहीं है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले शुल्कों में विज्ञापन शुल्क को भी सम्मिलित कर लिया जाय। इस उद्देश्य से अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा 2 के खंड (ङ) के पश्चात् एक नया खंड (च) जोड़कर विज्ञापनों पर शुल्क की वसूली से संबंधित प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भविष्य में आवश्यकता आधारित अन्यान्य मदों में कर/शुल्क लगाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसे दृष्टिपथ में रखते हुए प्रस्तावित खंड (च) के पश्चात् एक नया खंड (छ) जोड़कर यह व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है कि पंचायत के संसाधनों में वृद्धि हेतु पंचायत सरकार द्वारा विहित अन्य मदों में शुल्क या दर का अधिरोपण कर सकती है।

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार (RERA) द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों का विस्तारीकरण होने तथा भू–सम्पदा से संबंधित परियोजनाएं तेजी से मूर्त रूप लेने के फलस्वरूप पंचायती राज विभाग को भी गैर आयोजना क्षेत्रों में परियोजनाओं के नक्शे को पारित करने और पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संसाधनों को स्थापित एवं सुदृढ़ करने की कार्रवाई करनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए तो नगर निगम, नगर परिषद् आदि इसके लिए सक्षम प्राधिकार हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस हेतु कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः आयोजना क्षेत्र से बाहर परन्तु समीपस्थ क्षेत्रों में अनियंत्रित एवं मानक नियमों एवं सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से बड़े भवनों/अपार्टमेंट आदि के निर्माण किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नये परियोजनाओं/भवनों के निर्माण की स्वीकृति इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा चौड़ी सड़के, पार्क, जल निकासी, मल निकासी (Sewerage), सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं विशेषतः भवन परियोजनाओं के अनियमित एवं अनियंत्रित निर्माण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि योजना एवं भवन निर्माण के संचालन का नियंत्रण, विनियमन एवं अनुश्रवण से संबंधित प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में अन्तर्विष्ट किये जायें।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(दीपक प्रकाश)
भार–साधक सदस्य,

पटना,
दिनांक–22.07.2026

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 872-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in